न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/ 13/2021

1–राजवती पत्नी नाहरसिंह । जाति जाट निवासी बहरामदा तहसील नदबई जिला
2–भग्गो पत्नी विजय सिंह । भरतपुर ....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई ....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.2.2021 तहसीलदार नदबई प्रकरण संख्या 05/2021 उनवानी सरकार बनाम राजवती वगै0

उपस्थितः–
1–श्री महाराज सिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

दिनांक 13.9.2023

आदेश

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश निर्णय दिनांक 26–02–2021 तहसीलदार नदबई पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–02–2021 में तहसीलदार नदबई ने अपीलान्ट अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 3011/113 कुल रकबा 0.0052 किस्म भूमि गैर मु0रास्ता बाके ग्रांम बहरामदा(लुहासा) तहसील नदबई से बेदखल किये जाने एवं पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण एवं तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 113 बाके ग्रांम बहरामदा में से होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। खसरा नम्बर 111 के लिए इस भूखण्ड में होकर नया रास्ता खसरा नम्बर 3011/113 एस.डी.ओ. नदबई ने गलत कायम किया है। विवादित भूखण्ड आबादी के काम में आ रहा है जिसमें चार दीवारी बहुत पहले से हो रही है। विवादित आराजी पर धारा 251ए आर.टी.ए. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। एसडी.ओ. नदबई के उक्त आदेश के खिलाफ आर.ए.ए. के न्यायालय में अपील विचाराधीन है, योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कहना है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रिविजन पेन्डिग है, जब रास्ता कायम करने का मामला अभी ऊपर के न्यायालय में विचाराधीन है तब तक विवादित आराजी के बाबत अपीलार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जासकती है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

.........2

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर दीवार लगाकर कर अतिक्रमण किया है। तहत न्यायालय ने जिसके लिये नियमों के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुये राजकीय भूमि से बेदखल करने एवं लगान की पचास गुना पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। तहसीलदार ने विधिवत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—02—2021 का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि विवादित आराजी को लेकर आर.ए.ए. एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने मौखिक कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नही किया जिससे उनके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो और नाहीं किसी सक्षम न्यायालय का कोई स्टे आर्डर पेश किया गया है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर अपीलान्ट ने दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार नदबई ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर धारा 91 एलआर एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत तहसीलदार नदबई को वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13—9—2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर